



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022021-225512
CG-DL-E-26022021-225512

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 891]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2021/फाल्गुन 7, 1942

No. 891]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2021/PHALGUNA 7, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

का.आ. 964(अ).—केंद्र सरकार, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 (2020 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 85/2020 दिनांक 27 अक्तूबर, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 3847(अ) दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) खंड (क) में "28 फरवरी, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2021" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) खंड (ख) में "31 मार्च, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "30 अप्रैल, 2021" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।
- (iii) खंड (ग) में "1 अप्रैल, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "1 मई, 2021" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 09 /2021/फा.स. आईटी(ए)/01/2020 टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति एवं विधान प्रभाग

नोट : मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 3847(अ) दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II, धारा 3 की उपधारा (ii) के दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 में प्रकाशित की गई थी। यह मूल अधिसूचना, तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या का.आ. 4804(अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2020, भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II, धारा 3 की उपधारा (ii) में प्रकाशित तथा अधिसूचना संख्या का.आ. 471(अ) दिनांक 31 जनवरी 2021, भाग II, धारा 3 की उपधारा (ii), भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II, धारा 3 की उपधारा (ii) में प्रकाशित के द्वारा, संशोधित कर दी गई है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2021

S.O. 964(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 (3 of 2020), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue), number 85/2020, dated the 27th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3847(E), dated 27th October, 2020, namely:—

In the said notification,—

- (i) in clause (a), for the figures, letters and words “28th day of February, 2021” the figures, letters and words “31st day of March, 2021” shall be substituted;
- (ii) in clause (b), for the figures, letters and words “31st day of March, 2021” the figures, letters and words “30th day of April, 2021” shall be substituted; and
- (iii) in clause (c), for the figures, letters and words “1st day of April, 2021” the figures, letters and words “1st day of May, 2021” shall be substituted.

[Notification No. 09/2021/ F.No. IT(A)/01/2020-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy & Legislation Division

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3, Sub-section (ii) dated the 27th October, 2020 *vide* number S.O. 3847(E), dated 27th October, 2020 and was subsequently amended by notification number S.O. 4804(E), dated 31st December, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3, Sub-section (ii) dated the 31st December, 2020 and notification number S.O. 471(E), dated 31st January, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3, Sub-section (ii) dated the 31st January, 2021.